COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(188)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग-3567-I-16

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2015–16

आवेदक : विसराम कोल पिता श्री तलकाई कोल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी– लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, पहरुआ, कटनी (म.प्र.)

विरुद्ध

अनावेदक : म.प्र. शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधार पर प्रस्तुत करता है:–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, आवेदक लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, पहरुआ, कटनी (म.प्र.) का स्थाई निवासी है ।

2. यह कि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा चनेहटी तह. कटनी स्थित भूमि ख.नं. 166/2, 167/2, 254/2 रकबा कमशः 0.05 हे. 0.35 हे., 0.18 हे. कुल रकवा 0.58 हे. भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम से भूमिस्वामी हक में दर्ज है । आवेदक द्वारा उक्त भूमि को केता श्री राकेश सोनी पिता श्री लल्लूलाल सोनी एवं श्री प्रशांत सोनी पिता विष्णु प्रसाद सोनी निवासी– शेर चौक जालपा वार्ड कटनी, जिला कटनी को विकय करने का अनुबंध बैंक एवं अन्य व्यक्तियों का कर्ज अदायगी एवं परिवार के निवास हेतु मकान निर्माण तथा शेष भूमि को सिंचित बनाने के उद्देश्य से किया गया है । उक्त भूमि अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है तथा आवेदक के पास उक्त भूमि विकय करने के पश्चात् ग्राम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3567/एक/2016 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-11-2016	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 12/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जिला कटनी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि मौजा चनेहटी तहसील कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 166/2, 167/2, 254/2, रकवा क्रमशः 0.05, है0, 0.035 है0, 0.18 है0 कुल रकवा 0.58 है0 भूमि राजस्व अभिलेखो में आवेदक के नाम से भूमि स्वामी हक में दर्ज है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि को क्रेता राकेश सोनी पुत्र लल्लू लाल सोनी एवं प्रशांत सोनी पुत्र विष्णु प्रसाद सोनी निवासी शेर चौक जालपा वार्ड कटनी को विक्रय करने का अनुबंध बैंक एवं अन्य व्यक्तियों का कर्ज अदायगी एवं परिवार के निवास हेतु मकान निर्माण तथा शेष भूमि को सिंचित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। उक्त भूमि अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। तथा आवेदक के पास उक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् ग्राम पुरैनी तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 293/1, 293/2, 294/2 रकवा क्रमशः 0.420 है0, 0.480 है0, 0.40 है0 ग्राम मतवार पडरिया तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 558, 665 रकवा क्रमशः	

0.370 है0, 0.310 है0 शेष बचती है जोकि उसके भरण पोषण हेतु पर्याप्त है अतः एवं आवेदक को उक्त भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये। कलेक्टर कटनी द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को पंजीबद्व कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण में विक्रय अनुमति नहीं दी गयी। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास ग्राम पुरैनी तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 293/1, 293/2, 294/2 रकवा क्रमशः 0.420 है0, 0.480 है0, 0.40 है0 ग्राम मतवार पडरिया तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 558, 665 रकवा क्रमशः 0.370 है0, 0.310 है0 शेष बचती है जोकि उसके भरण पोषण हेतु पर्याप्त है जिससे वह उपरोक्त भूमि की विधिवत् देखभाल कर कृषि कार्य करेगा आवेदक अपने आवेदन पत्र में दर्शायी गयी भूमि को इसलिये भी विक्रय करना चाहता है क्योंकि उपरोक्त भूमि विक्रय किया जाना इसलिये आवश्यक है कि अन्य व्यक्तियों का कर्ज अदायगी एवं परिवार के निवास हेतु मकान निर्माण तथा शेष भूमि को सिंचित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। ऐसी स्थिति में उसे उपरोक्त भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो उपरोक्त भूमि से उसे लाभ के स्थान पर हानि होगी। इसलिये भूमि विक्रय

की अनुमति दी जाये। किन्तु कलेक्टर जिला कटनी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार नहीं किया है, प्रकरण में स्थिति यह है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र कि विधिवत् जॉच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी द्वारा की गयी थी। तथा प्रकरण में समस्त अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन दिये गये थे। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार कर भूमि विक्रय किये जाने के अनुमति दी जानी चाहिये थी। किन्तु प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त दिशा में कोई कार्यवाही नही की गयी है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं कार्यवाही निरस्त की जाये। अंत में आवेदक अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी को स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर कटनी ने आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ जॉच हेतु गया एवं जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 27.09.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

6– आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति एवं अन्य व्यक्तियों कर्ज अदायगी तथा परिवार के निवास हेतु मकान निर्माण तथा शेष भूमि को सिचिंत बनाने के उद्देश्य से भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि

आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :–

1– पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जॉच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास ग्राम पुरैनी तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 293/1, 293/2, 294/2 रकवा क्रमशः 0.420 है0, 0.480 है0, 0.40 है0 ग्राम मतवार पडरिया तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 558, 665 रकवा क्रमशः 0.370 है0, 0.310 है0 शेष बचती है जोकि उसके भरण पोषण हेतु पर्याप्त है तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2– प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व–अर्जित भूमि है। अर्थात शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3– पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4– आवेदक अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के

सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

7— प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व–अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7–ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध राकेश सोनी पुत्र लल्लू लाल सोनी एवं प्रशांत सोनी पुत्र विष्णु प्रसाद सोनी के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से अधिक विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर कटनी ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को मौजा चनेहटी तहसील कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 166/2, 167/2, 254/2, रकवा क्रमशः 0.05, है0, 0.035 है0, 0.18 है0 कुल रकवा 0.58 है0 भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य